



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963GO1003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702 :: जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./13-4/उद्यान/2019-20/

दिनांक: 24.05.2019

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित पौधशाला में नींबू प्रजाति के पौधे वर्ष 2019-20 में 15,000 पौधे तथा वर्ष 2020-21 में 20,000 के लगभग नींबू प्रजाति के पौधे को ठेके पर तैयार करवाने हेतु सीलबन्द निविदायें श्रीमान् निदेशक महोदय, केन्द्रीय राज्य फार्म - जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) के नाम से दिनांक 18.06.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर बाद 2.30 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 18.06.2019 के दोपहर 1:00 तक किया जाएगा। निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 20,000/- (रु बीस हजार मात्र) फार्म के बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करवाकर अथवा बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या- 33963396672) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती हैं व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 200/- का डिमान्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक खाते में जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक का खाता का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

प्रबन्धक (उत्पादन)
अपर महाप्रबंधक (फार्म/उत्पादन)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरात्ना कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963GOI003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702 :: जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./13-4/उद्यान/2019-20/

दिनांक: 24.05.2019

निविदा प्रपत्र

क्र. सं.	निविदा विवरण :-	दर प्रति पौधा रू. में
1	नीबू वर्गीय पौधों को तैयार करने के लिए कार्यों का विवरण :- वर्ष 2019-20 के लिए स्वयं की जट्टी खट्टी लगभग 25000 नग जट्टी खट्टी पौधे फार्म की नर्सरी पर ला कर लगाना होगा, जुलाई 2019/अगस्त 2019 में क्यारी बनाकर जट्टी खट्टी को जमीन/पोलीथिन में बदलना। बडिंग, डिसबडिंग, निराई गुडाई, सिचाई, स्प्रे, इत्यादि करके पौधा 9 इंच से 1 फीट तक की ऊँचाई तक तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	अंकों में रू0..... शब्दों में रू0.....
2	नीबू वर्गीय पौधों को तैयार करने के लिए कार्यों का विवरण :- वर्ष 2020-21 के लिए सितम्बर 2019 से नवम्बर 2019 में बाग से और अन्यत्र से जट्टी खट्टी के फल तोड़कर, बीज निकालकर, क्यारी बनाकर उसमें बीज की बिजाई करके पौधा तैयार करना तथा तैयार पौधा को फरवरी/अगस्त 2021 में क्यारी बनाकर जट्टी खट्टी को जमीन/पोलीथिन में बदलना। बडिंग, डिसबडिंग, निराई गुडाई, सिचाई, स्प्रे, इत्यादि करके पौधा 9 इंच से 1 फीट तक की ऊँचाई तक तैयार करके देना। दर प्रति पौधा।	अंकों में रू0..... शब्दों में रू0.....

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदा दाता.....

नाम व पूरा पता

.....
.....

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

वर्ष 2019-20 एवम 2020-21 में नर्सरी कार्य हेतु नियम व शर्तें

- 1 वर्ष 2019-20 में 15000 व वर्ष 2020-21 में 20000 नीबू वर्गीय पौधे तैयार करने होंगे। वर्ष 2019-20 के लिये स्वयं की जट्टी खट्टी लगभग 25000 नग जट्टी खट्टी पौधे फार्म की नर्सरी पर ला कर लगाना होगा तथा वर्ष 2020-21 के लिये सितम्बर 2019 से नवम्बर 2019 में बाग से और अन्यत्र से जट्टी खट्टी के फल तोड़कर, बीज निकालकर, क्यारी बनाकर उसमें बीज की बिजाई करके पौध तैयार करना तथा तैयार पौध को जुलाई/अगस्त 2019 (वर्ष 2019-20 के लिये) और फरवरी/अगस्त 2020 (वर्ष 2020-21 के लिये) में क्यारी बनाकर जट्टी खट्टी को जमीन/पॉलीथिन में बदलना। बडिंग, डिसबडिंग, निराई गुडाई, सिचाई, स्प्रे, इत्यादि करके पौधा 9 इंच से 1 फीट तक की उचाई तक तैयार करके देना। बोली का रेट प्रति पौधा देना होगा।
- 2 प्रस्तावित पौधों के उत्पादन हेतु फार्म द्वारा निर्मित पौधशाला में प्रसारण सिंचाई के लिए आवश्यक उपलब्ध पानी (उपलब्धता के आधार पर) की व्यवस्था आदि फार्म द्वारा करायी जायेगी।
- 3 पौध प्रसारण हेतु आवश्यक साधन सामग्री जैसे पॉलीथिन बैग, पॉलीथिन सीट, खाद, बीज, कीटनाशक आदि फार्म द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।
- 4 ठेकेदार को फार्म के निर्देशानुसार फार्म के पौधों से/अन्यत्र से बड-स्टिक, रोगमुक्त, खुद काटकर लानी होगी। बड बॉधने के लिए पॉलीथिन फार्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5 बडिंग नीबू वर्गीय 60 प्रतिशत कम से कम होनी चाहिए।
- 6 बिक्री योग्य तैयार पौधों की गिनती यूनियन प्वाइंट से कम से कम 9 इंच से 1.0 फीट के आकार पर की जायेगी।
- 7 आवश्यकतानुसार नर्सरी में किये जाने वाले सभी कार्य जैसे बडिंग, डिसबडिंग, डिहेडिंग, निराई, गुडाई (कम से कम आठ बार करेगा) सिचाई स्प्रे आदि समय-समय पर ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
- 8 खट्टी पर बडिंग का कार्य सितम्बर से 15 नवम्बर तक अवश्य रूप से पूरा करना होगा यदि यह कार्य 15 नवम्बर तक पूरा नहीं किया जा सका तो इसे फरवरी एवं मार्च में भी पूरा किया जा सकता है।
- 9 किसी प्राकृतिक नुकसान के लिए ठेकेदार खुद जिम्मेवार होगा। फार्म उन्हीं पौधों का भुगतान करेगा, जो अंतिम गिनती के समय भौतिक रूप से उपलब्ध होंगे। इस कार्य हेतु जो भी अग्रिम भुगतान किया जायेगा, उसे अंतिम रूप से समायोजित किया जायेगा।
- 10 पौधे की गिनती मार्च-2020/मार्च-2021, अक्टूबर-2020/2021 वर्ष 2019-20 के लिए ठेकेदार स्वयं की जट्टी खट्टी लाएगा, वर्ष 2020-21 में फार्म बीज उपलब्ध करवाएगा जिसकी देखरेख ठेकेदार को करनी होगी।
- 11 पौधों की बडिंग से पहले फार्म की जमीन पर बड लायक रुट स्टॉक (जट्टी खट्टी) तैयार करने पर 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर दिया जायेगा तथा 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान पौधों में कम से कम 9 इंच से एक फुट फुटाव आने पर अंतिम गिनती करके कर दिया जायेगा, गिनती केवल जीवित कलमी/बड पौधों की जायेगी, वर्ष 2020-21 में पौधों की अंतिम गिनती के बाद किया जाएगा। बिल का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा। भुगतान से पूर्व पेन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
- 12 यदि प्राकृतिक प्रकोप से कोई नुकसान होता है तो इसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 13 ठेकेदार को निविदा देते समय रू0 20,000/ धरोहर राशि फार्म खाते में ऑनलाईन जमाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या - 33963396672), जमा/संलग्न करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने के बाद उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
- 14 कार्य आदेश मिलने के 15 दिन के अन्दर एक सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
- 15 तैयार करने वाले पौधों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है जिसके बारे में समय से सूचित कर दिया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ नं0 2 पर

- 16 निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या निरस्त कर सकते हैं।
- 17 ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को ही करनी होगी।
- 18 पौधों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी ठेकेदार की होगी।
- 19 यदि ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर जाता है तो यह कार्य अन्य किसी से करवा लिया जायेगा। इस कार्य को करवाने में अगर फार्म को कोई हानि होती है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। साथ ही धरोहर राशि जब्त व किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 20 यदि किसी भी प्रकार का टैक्स लगता है तो वह ठेकेदार वहन करेगा।
- 21 यदि उपरोक्त अनुबंध/ करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिटेटर) के द्वारा विवाद का निपटॉन आर्बिटेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएँ/ पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
- 22 आर्बिटेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बंधित होगा।
- 23 उपरोक्त शर्तों को सुन समझ कर व पढकर बताया गया जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है।

हस्ताक्षर ठेकेदार